


336

336

336

S



मेडिनीनगर पलामु
For USHA MARTIN LIMITED

(N. K. Patodia)
Assistant Vice President

17/11/18
E-2000
C-25
2003-44
17/11/18



FOR USHA MARTIN LIMITED

(N. K. Patodia)

(बिक्रय पत्र महिला क्रेता)

(1) लेख्यकारी का नाम वो पूरा पता :-

उषा मार्टिन लिमिटेड द्वारा श्री नन्दकिशोर पाटोदिया, सहायक उपाध्यक्ष, पिता का नाम स्व० रामदेव पाटोदिया, जाति हिन्दु, निवास स्थान ग्राम-रजिस्टर्ड ऑफिस 2A सेक्सपियर, सारणी कोलकाता, पिन 700071 नागरिकता भारतीय PAN-AAACU2339M आधार नं०3163 3393.6395

N.K. Patodia

पहचान कर्ता

नाम महेन्द्र सिंह
पिता श्री महेन्द्र सिंह
पता 3/9/15/1 ज 3/1/15/1

(2) लेख्यधारी का नाम वो पूरा पता :-

श्रीमती नैनतारा देवी पति श्री श्रवण सिंह, जाति-राजपुत, निवासी मौजा पटखौलिया, पत्रालय कोशियारा, थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू, झारखण्ड पेशा गृहिणी, नागरिकता- भारतीय। PAN-A/F आधार नं० 4639 4287 4167 मो० नं० 7250990305..... क्रेता।

(3) लेख्य प्रकार:-निर्विवाद विक्रय-पत्र केवाला (Sale Deed)

(4) देय मूल्य:-मो० 8,00,500 (आठ लाख पांच सौ रुपये)।

निर्धारित मूल्य:-मो० 8,00,500 (आठ लाख पांच सौ रुपये)।

(5) सम्पति का विवरण :-

मवाजी 0-3.78 डी० (तीन दशमलव सात आठ) डी० जमीन अन्तर्गत मौजा बारालोटा, मदन मोहन कॉलोनी, अंचल मेदिनीनगर जिला पलामू। इलाके एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू हकियत लेख्यकारी को खरीदगी जमीन हासिल है। इस दस्तावेज के साथ एक नक्शा संलग्न है जिसमें बिक्री की जाने वाली भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है, नक्शा इस दस्तावेज का अविभान्य अंग वो अंश है :-

विक्रय की जाने वाली भूमि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा	थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०
बारालोटा	198	58 बी०	01

थाना-सदर मेदिनीनगर, जिला-पलामू, राज्य-झारखण्ड।

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा ए० डी०	चौहदी
65 (पैंसठ)	72 (बहत्तर)	0-1.50 डी०	उ०- 12 फीट चौड़ा रास्ता द०- खण्ड सं० 17
271 (दो सौ एकहत्तर)	71 (एकहत्तर)	0-2.28 डी०	पु०- खण्ड सं० 21 प०- 11 फीट चौड़ा रास्ता
	खण्ड 16 का सम्पूर्ण भाग		

कुल खाता 2 कुल प्लॉट 2 कुल रकबा 0-3.78 डी० बिक्री हो रहा है।

M. K. Patodi

Handwritten signatures and text:
Dalepanda
Palam
1/1/18

बिक्रय की जाने वाली भूमि का माप फीट में निम्नवत है:-
उत्तर से दक्षिण दोनो तरफ 33 फीट 0 ईंच एवं पूरब से पश्चिम
दोनो तरफ 50 फीट 0 ईंच
वार्षिक लगान अनुमानित :- मो0 3/- (तीन) रूपये अलावे शेष।
नाम मालिक :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर
मेदिनीनगर जिला पलामू।

विदित हो कि उपर कंडिका संख्या 5 में वर्णित भूसम्पति
ग्राम बारालोटा थाना मेदिनीनगर जिला पलामू थाना नं0 198 में
उक्त भू-खण्ड को उषा मार्टिन लिमिटेड ने खरीद कर प्राप्त किया
है जिसका केवाला नं0 8721 बुक नं0 1 भौ0 271 पेज नं0 479 से
618 तक वास्ते दिनांक 23.08.2011 ईस्वी है जो जिला निबंधन
कार्यालय मेदिनीनगर में निबंधित हुआ है। नामांतरण वाद सं0 1603
वास्ते वर्ष 2011-12 के माध्यम से नामांतरण होकर डिमाण्ड उषा
मार्टिन लिमिटेड के नाम से होल्डिंग नं0 6889 पर चलता है।
लेख्यकारी का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है। इस
जमीन में लेख्यकारी के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का
स्वामित्व हक अधिकार हिस्सा अथवा दखल कब्जा नहीं है और ना
ही इस सम्पति पर आज तक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा
वारदैन किया गया है। ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद
ही है। संक्षेप में यह जमीन सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से
पूर्णतः मुक्त है।

लेख्यकारी मे0 उषा मार्टिन को लेख्यधारिणी से कुछ भी
पाना बाकी नहीं रह गया है इस प्रकार से इसकी मूल्य की पूरी
राशि की वसूली के साथ ही यह केवाला (विक्रय पत्र) आज से पुरी
तरह से असर में आ गया और उषा मार्टिन लिमिटेड ने उपर वर्णित
जमीन पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल कब्जा हटाकर
इस पर लेख्यधारिणी को स्वामित्व तथा दखल कब्जा दे दिया। इस
प्रकार से इस जमीन के सम्बन्ध में उषा मार्टिन लिमिटेड को आज
तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधाएँ प्राप्त थे अथवा भविष्य में
प्राप्त होते वे सब ज्यों के त्यों लेख्यधारिणी को प्राप्त हुए। अब
लेख्यधारिणी को अधिकार प्राप्त होगा कि इस भू-खण्ड को वह
अपनी इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग कर के लाभ उठावें। इसमें
अपना मकान बनावें, अपने परिवार सहित निवास करें, चाहरदिवारी
के अन्दर लावें या किराये पर लगावें अथवा जैसा उचित समझे
इसका इस्तेमाल करें। इससे अब उषा मार्टिन लिमिटेड का कुछ भी
संबंध या सरोकार नहीं रहा और न भविष्य में कभी रहेगा।

यह कि खरीदी गई भू-खण्ड में से 1 (एक) फीट जमीन
क्रेता को नाली के लिए छोड़ना अनिवार्य हैं जिसे लेख्यधारिणी ने
स्वीकार किया और एक फीट चौड़ी जमीन रोड में सम्मिलित हो
जाएगा।

Dr. R. Patodi

*अतिरिक्त
आवेदन/संलग्न
पत्र*

यह कि इस जमीन के संबंध में लेख्यधारिणी को चाहिए कि झारखण्ड सरकार के सिरिस्ते में इसका दाखिल खारिज भी अंचल ऑफिस मेदिनीनगर पलामू के द्वारा स्वयं अपने नाम से करा लें तथा इसके लगान की रसीदों को भी स्वयं अपने नाम से प्राप्त किया करें।


इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन विभाग की भूमि मंदिर-मस्जिद की भूमि, भूदान से प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार उल्लंघन नहीं हो रहा है।

इस प्रकार लेख्यधारिणी ने सम्पूर्ण कागजातों का अवलोकन कर तथा इस विक्रय पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़कर-पढ़वाकर ठीक एवं सही लिखा पाकर अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थता में बिना किसी डर भय दबाव के इस दस्तावेज को स्वीकार किया तथा लेख्यकारी ने भी स्वतंत्र गवाहों के समक्ष निष्पादन कर रहे हैं और निबन्धन कार्यालय से निबंधित करवा दे रहे हैं जो सम्पति बिक्री का स्थायी प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

टंकक

गौतम

मेदिनीनगर
रिजिस्ट्रार



मेदिनीनगर पलामू

Dr. K. K. K. K.

मैं दोनों पक्षगणों के निर्देशानुसार यह विक्रय पत्र तैयार किया एवं वसिका अन्दर वर्णित मजमून दोनों पक्षगणों के सामने पढ़ कर समझा दिया। दोनों पक्षगण बोले ठीक है। तथा विक्रय पत्र में जिन-जिन व्यक्ति की छाया चित्र लगी हुई है इन लोगों के बाये हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है।

कातिब:- राधा कृष्ण किशोर राधा कृष्ण किशोर दस्तावेज लिपिक अनुज्ञप्ति सं०-106/03 मेदिनीनगर, पलामू।